23/11/21

पत्रावली आइन्दा........ 10-9-21

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया कि मजमे आम जानकारी ली गयी आदेश [illegible] के खिलाफ जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जावे। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नतीजे सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 20..
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आड..

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आड़ेल)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 137/2020

प्रार्थीगण :–

1. जोगा पुत्र नगा
कौम जाट निवासी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. भैरा पुत्र नगा वगैरा (27)
28. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.11.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 केम्प **बाण्ड** पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 सरहद मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 459 रकबा 63–09 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है **दौनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** विवादित खसरा सरहद मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 459 रकबा 63–09 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली होकर पत्रावली नियमानुसार सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 23/11/21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय **बाण्ड** में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आड़ेल